>

Title : Need to take steps to end the strike by Advocates in Kanpur, Uttar Pradesh.

श्री राजाराम पाल (अकबरपुर): सभापति महोदय, आपने एक अविलंबनीय लोकमहत्व के विषय पर बोलने का मौका दिया है। इस सदन में माननीय संसदीय कार्य मंत्री बैठे हुए हैं। वह अधिवक्ता रह चुके हैं और अधिवक्ताओं की पीड़ा को अच्छी तरह से जानते हैं। आज पूरे देश में बार और बेंच दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अधिवक्ता सम्मान के लिए, विद्वान अधिवक्ता बचाव और अपना पक्ष रखने के लिए, वादकारी के सर्वोच्च हित को ध्यान मे रखकर अपनी वकालत करने का काम करते हैं और देश की प्रत्येक न्यायालय के सामने लिखा रहता है वादकारी का हित सर्वोच्च हित है। पूरे देश में कहीं न कहीं बार और बेंच के आपसी टकराव के कारण या पुलिस प्रशासन के अनैतिक हस्तक्षेप के चलते, आएदिन अधिवक्ता हड़ताल पर चले जाते हैं।

महोदय, यह एक बहुत गंभीर घटना है, जो पहली बार भारत में न्यायालय के इतिहास में हुयी होगी। कभी भी पुलिस न्यायालय परिसर के अंदर और न्यायालय के अंदर घुसकर विद्वान अधिवक्ताओं के साथ कोई अभद्रता का काम नहीं करती है।

लेकिन कानपुर में 7.4.2010 को एडीजी फर्स्ट के कोर्ट में एक अधिवक्ता और एक दरोगा की आपसी कहा सुनी के चलते किसके आदेश में न्यायालय परिसर में, न्यायालय के अंदर सशस्त्र पुलिस बल बुलाया गया। समझौता कराने के लिए जिला जज के न्यायालय में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, महामंत्री और सैंकड़ों अधिवक्ता उस मामले को शान्त कराने के लिए जिला जज के पास गए। लेकिन जिला जज ने अपना दरवाजा न खोलकर मामले को और बढ़वाने का काम किया। सैंकड़ों निहत्थे अधिवक्ताओं के ऊपर पुलिस प्रशासन ने लाठियां मारने का काम किया। उसमें सैंकड़ों लोग घायल हुए जो आज भी अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं। माननीय अधिवक्ता 7.4.2010 से हड़ताल पर हैं। घटना यहीं समाप्त नहीं हुई। दूसरे दिन 8 तारीख को जब अधिवक्ता फिर हड़ताल पर थे, तब पुलिस ने फिर न्यायालय परिसर में घुसकर वकीलों के चैम्बरों को तोड़ने का काम किया, अधिवक्ताओं को लाठियों से पीटने का काम किया। 7 तारीख से आज तक अधिवक्ता हड़ताल पर हैं। उत्तर प्रदेश की बार काउंसिल ने भी उनकी हड़ताल का समर्थन करने का काम किया है। देश के अन्य प्रदेशों से भी बार काउंसिल के संगठन ने कानपुर के अधिवक्ताओं के साथ हुई बर्बरतापूर्ण घटना की निन्दा करते हुए उन्हें समर्थन देने का आश्वासन दिया है। यह गंभीर मामला है।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : ठीक है, आपने इस ओर सदन का ध्यान आकर्षित कर दिया है।

â€¦(व्यवधान)

श्री राजाराम पाल : जहां तक लाठियां चलाने का प्रश्न है, प्रशासन कहता है कि हमने लाठियां चलाने का आदेश नहीं दिया।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपको केन्द्र सरकार से जो अपेक्षा है, वह बोल दीजिए।

â€¦(व्यवधान)

श्री राजाराम पाल : जिला जज महोदय कहते हैं कि मैंने न्यायालय में लाठी चलाने का आदेश नहीं दिया।...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से कानून मंत्री, माननीय संसदीय कार्य मंत्री से यह मांग करता हूं कि बार और बैंच की इस टकराहट को बीच में समझौता करवाकर अधिवक्ताओं की जो मांग है कि अगर दोषी जिला जज है तो उनका स्थानान्तरण किया जाए, दोषी प्रशासन है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाए ताकि हड़ताल समाप्त हो, वह पूरे देश में आग की तरह न फैले। इससे वादकारी का अहित होगा।...(व्यवधान) इसलिए वादकारियों के हित को ध्यान में रखते हुए मैं मांग करता हूं कि हड़ताल को समाप्त करने में सरकार हस्तक्षेप करने का काम करे।

सभापति महोदय : सदन की कार्यवाही दिनांक 20 अप्रेल, 2010 को 11 बजे पूर्वाहन् तक स्थगित की जाती है।

20.04 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on

20th April 2010, 30 Chaitra, 1932 (Saka)

---

* Not recorded.

* Not recorded.

    * Not recorded.

    **English translation of the Speech originally delivered in Bengali.

* English translation of the Speech originally delivered in Bengali.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Not recorded.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Speech was laid on the Table

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.